सं.3(6)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8326
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 7 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: श्री अनिल कुमार सूद, एएम-II (स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त), भारत मौसम विज्ञान विभाग के पेंशन संदाय आदेश से पुत्री का नाम हटाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के मार्गदर्शन/निर्देश की मांग करने के संबंध में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के दिनांक 8/8/2022 की एसएफएस फाइल संख्या डीजीएम-एचक्यू-43011(10)/5/2022 के नोट का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. इस विभाग में मामले की जांच की गई है। यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन सरकारी कर्मचारी के पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) से पुत्री का नाम हटाने का कोई उपबंध नहीं है। सरकारी कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में सूचित किए जाने पर ही पुत्री को सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य माना जाता है। अत: पीपीओ में परिवार के सदस्यों का नाम रहेगा। कुटुंब पेंशन की पात्रता मौजूदा नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात ही निर्धारित की जाती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तदनुसार कार्रवाई कर सकता है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

सेवा में

संयुक्त सचिव (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय)
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पृथ्वी भवन, इंडिया हैबिटैट सेन्टर के विपरीत
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.